समक्ष माननीय सदस्य म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी/15

गुलाब बाई पत्नी स्व0 श्री धनसिहं
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील सिरोज
जिला विदिशा म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1. प्राथमिक कृर्षि साख सहकारी समिति मर्या0
ग्राम सोना तहसील सिरोंज जिला विदिशा
2. निर्भय सिहं आ0 स्व0 श्री धनसिहं
निवासी ग्राम शाहपुर तहसील सिरोज
जिला विदिशा म0प्र0
3. श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश
निवासी मोहल्ला सतखनी तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 .....अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 621/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06/10/15 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क0 143 रकवा 0.708 हे0 भूमि आवेदक एवं अनावेदक क0 2 व 3 द्वारा वर्ष 1986 में पजींकृत विकय पत्र के आधार पर कय कि गयी है। उक्त भूमि कय करने के उपरान्त आवेदक एवं अनावेदक क0 2 व 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अपना नाम दर्ज करवाया गया । वर्ष 2011 में अनावेदक क0 1 ने अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह उल्लेख करते हुए कि वर्ष 1977–78 में जनता पाटी के आने पर ग्राम सरपचं धनसिहं द्वारा 0.039 हेक्टयर भूमि गोदाम के लिये दी गयी थी । इसलिये उक्त 0.708 हे0 भूमि में से 0.039 हेक्टयर भूमि पर अनावेदक क0 1 का नामान्तरण किया जावे। आवेदन पत्र के साथ अनावेदक क0 1 द्वारा आवेदक के स्वामित्व कि भूमि खसरे कि प्रति, पचंनामें कि फोटोकाफी एवं विभिन्न व्यक्ति के शपथपत्रो कि फोटोप्रतियो प्रस्तुत कि गयी । यह कि अनावेदक क0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र कि जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण के सबन्ध में आपत्ति प्रस्तुत कि गयी कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक एवं अनावेदक क0 2 व 3 के नाम पर दर्ज है। अनावेदक क0 1 को उक्त भूमि पर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3458–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 621/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06–10–15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 ने विचारण न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया गया कि वर्ष 1977–78 में अनावेदक कमांक 2 के पिता धनसिंह ने प्रश्नाधीन भूमि 0.039 हैक्टर को अनावेदक कमांक 1 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को गोदाम हेतु दी गई थी और उन्होंने गोदाम का निर्माण भी कराया इसलिए उक्त भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नामांतरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, जिस पर आवेदिका द्वारा आपत्ति की गई तदुपरांत तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 31.10.11 द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील कमशः	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 की दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है आवेदिका के पति धनसिंह द्वारा ग्राम शाहपुर के सरपंच होने के नाते प्रश्नाधीन भूमि देकर स्वयं गोदाम का निर्माण कराया । वर्ष 1977–78 में गोदाम का निर्माण होने के उपरांत 13.10.96 को आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा भूमि सर्वे नं. 143 रकबा 0.708 की रजिस्ट्री कराई गई है जो विधिवत नहीं है और इस संबंध में अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है कि विवादित भूमि के सर्वे नं. 143 के अंश भाग 0.39 हैक्टर पर गोदाम का निर्माण वर्ष 1977–78 एवं विवादित भूमि सर्वे नं. 143 के अंश रकबा 0.039 को छोड़कर रजिस्ट्री कराना चाहिए था और दान के माध्यम से या सहमति के माध्यम से भूमिस्वामी द्वारा एक बार जब भूमि अनावेदक कमांक 1 सहकारी समिति को गोदाम निर्माण हेतु दे दी थी तब भूमिस्वामी का स्वत्व समाप्त हो चुका था । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि व्यक्तिगत भूमि पर कोई भी शासकीय भवन का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक भूमिस्वामी भवन निर्माण की सहमति न दे । प्रकरण में तीनों

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3458–एक / 15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों पर समवर्ती हैं जिनमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक हो । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	